न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्र०सं०- 01 / 2025 (Bank Case)

GCMS No – 2025/107

कैनरा बैंक शाखा– रामगंजमण्डी, कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेश कुमार गान।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राम कुमार (ऋणी / बंधककर्ता)
   पता– 267, गणेश जी की गली, खेडा रूद्वा, रामगंजमण्डी, कोटा (राज.)
2. श्री कैलाश चंद पुत्र श्री राम लाल (सह–ऋणी)
   पता– ग्राम– गुडला, पोसट खेडली चेचट, रामगंजमण्डी –326519

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 08 .10.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कैनरा बैंक शाखा– रामगंजमण्डी, कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.11.2014 को राशि 6,00,000/– रूपये (अक्षरे छः लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक **अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान खसरा नं. 278, पट्टा संख्या 1674, ग्राम पंचायत खेडा रूद्वा, पंचायत समिति खैराबाद द्वारा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामकुमार के नाम से जारी जो कि ग्राम खेडा रूद्वा, तहसील रामगंजमण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 611 वर्ग फीट है। चर्तु; सीमाएं पूर्व में– मानक चंद टेलर का मकान, पश्चिम में– बाडा बंसती लाल, उत्तर में– देवी लाल शर्मा का मकान, दक्षिण में– सत्यनारायण का मकान है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 29.07.2024 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते मे 2,69,077.17/– (अक्षरे रूपये दो लाख, उनहत्तर हजार, सतहत्तर रूपये एवं सत्रह पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 28.11.2024 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.11.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 28.11.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 28.11.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी /बंधककर्ता अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान खसरा नं. 278, पट्टा संख्या 1674, ग्राम पंचायत खेडा रूद्वा, पंचायत समिति खैराबाद द्वारा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामकुमार के नाम से जारी जो कि ग्राम खेडा रूद्वा, तहसील रामगंजमण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 611 वर्ग फीट है। चर्तु:सीमाएं पूर्व में– मानक चंद टेलर का मकान, पश्चिम में– बाडा बंसती लाल, उत्तर में– देवी लाल शर्मा का मकान, दक्षिण में– सत्यनारायण का मकान है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 08.10. 2025 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)